## थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (बॉम्बे) न्यू कस्टम हाउस 19 अगस्त 1992

[एस. रंगनाथन, वी.रामास्वामी और बी.पी.जीवन रेड्डी, जे.जे.]

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975/केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944:

अध्याय X में धारा 3(1)/धारा 8(1)/नियम 8(1), और नियम 192 -समान वस्तु पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क -नियम के तहत समान वस्तु को दी गई छूट 8(1) अध्याय X में निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क-प्रक्रिया तक विस्तारित है-आयात पर अतिरिक्त शुल्क का विस्तार -भारतीय निर्माताओं को आपूर्ति करने के लिए आयातक को मिलने वाली रियायत -S.3(1) का स्पष्टीकरण -केवल वहीं लागू होता है जहां बिल्कुल एक ही विवरण के माल पर शुल्क की अलग-अलग दरें लगती हैं-शुल्क की उच्चतम दर-प्रयोज्यता।

अपीलकर्ता-निर्धारिती ने कुछ माल का आयात किया और सीमा शुल्क टैरिफ की प्रासंगिक प्रविष्टि के तहत उचित दर पर सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया, लेकिन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,

1975 के धारा 3 (1) के तहत लगाए गए अतिरिक्त सीमा श्ल्क का, अधिनियम की धारा 8 के तहत जारी दो अधिसूचनाओं के आधार पर अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट और इसके द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क की वापसी का दावा किया । चुंकि दावे को सहायक कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 25..2.85 और 30.09.85 द्वारा खारिज कर दिया था, और, इसलिए निर्धारिती ने कलेक्टर के पास अपील की, जिन्होंने एक अपील की अनुमति दी और दूसरी को खारिज कर दिया। निर्धारिती और राजस्व ने संबंधित आदेश के खिलाफ, जो उनके खिलाफ गया, ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील की। ट्रिब्यूनल ने राजस्व द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया और निर्धारिती की अपील को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल के आदेशों से व्यथित होकर, निर्धारिती ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता देते हुए, यह तर्क दिया है कि भले ही ट्रिब्यूनल अपने निष्कर्ष में सही था कि नियमों के अध्याय X की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया किया गया है, लेकिन अधिसूचना दिनांक 27.7.87 के तहत छूट से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह मानते हुए भी कि माल अधिसूचना की शर्तों को पूरा करता है, तो भी शुल्क की दर 80% लागू होगी जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण के आधार पर उच्चतम दर होगी।

अपीलों का निस्तारण करते हुए यह न्यायालय

अभिनिर्धारितः 1.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अध्याय X का लाभ निस्संदेह आम तौर पर एक निर्माता द्वारा दावा किया जाएगा उस स्थिति में उसे आवेदन करना होगा, लाइसेंस प्राप्त करना होगा और नियम में आवश्यक आश्वासन, बांड या गारंटी देनी होगी ,लेकिन इसका दावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। नियम की भाषा किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है, न कि केवल निर्माता, जो एक निर्दिष्ट उद्योगिक प्रक्रिया में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर नियम 8 के तहत एक अधिसूचना के तहत स्वीकृत शुल्क में छूट प्राप्त करना चाहता है। [955-सी]

1.2. नियम 192 की योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे माल के आयातक पर लागू न करता हो। निर्धारिती ने माल आयात किया है: और उन्हें एक कारखाने में उपयोग के लिए बेच रहा है, एक ऐसा उपयोग जो धारा 8 के तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत रियायत के लिए योग्य है। अधिसूचित रियायतों में निर्दिष्ट उपयोग के प्रकार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। केवल, उत्पाद शुल्क में रियायत का दावा करने के लिए उपयोगकर्ता को स्वयं निर्माता होना चाहिए या उसने किसी निर्माता से खरीदारी की हो और उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए

उत्तरदायी हो, जबिक अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) रियायत के दावे के संबंध में, आपूर्तिकर्ता एक आयातक होगा. बाद में माल को शुल्क की रियायती

दर पर (या छूट होने पर शून्य दर पर) बेचने का हकदार होगा यदि उससे खरीदने वाला खरीददार जो माल को निर्दिष्ट उपयोग के लिए (चाहे निर्माता हो या नहीं) नियम 192 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। नियम 192 के तहत केवल उस प्रकृति और उपयोग पर ध्यान दिया जाता है जिसके लिए उपयोगकर्ता या क्रेता द्वारा माल रखा जाता है और क्या वह अध्याय X में उल्लिखित प्रक्रिया से गुजरा है, इसलिए इस आधार पर ऐसे माल के आपूर्तिकर्ता को इसे अस्वीकार करना सही नहीं होगा कि वह आयातक है, निर्माता नहीं। वह पहलू धारा 3(1) दवारा प्रदान किया गया है जो विशेष रूप से अनिवार्य करता है कि सीएवी भारत में उत्पादित या निर्मित होने पर समान वस्त् पर उतने समय के लिए लगाए जाने वाले उत्पाद श्लक के बराबर होगा। यदि माल का उपयोग करने वाला व्यक्ति छूट का हकदार है, तो आयातक यह कहने का हकदार होगा कि सीवीडी केवल रियायती श्लक राशि होनी चाहिए ,और यदि उसने अधिक भ्गतान किया है, तो वह धनवापस मांगने का हकदार होगा। ट्रिब्यूनल ने यह मानने में गलती की कि निर्धारिती को धनवापस नहीं मिल सकता क्योंकि नियमों के अध्याय X की प्रक्रिया आयातकों के लिए अनुपयुक्त है। [955 जी,एच; 956 ए-जी)

1.3. बोर्ड का मानना है कि छूट का लाभ सही है कि जहां भी आयातक द्वारा या अन्य साक्ष्य द्वारा सामग्री का इच्छित उपयोग स्थापित किया जा सकता है, वहां छूट का लाभ अथवा रियायत दी जानी चाहिए। हालाँकि, पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्रेता एल-6 लाइसेंस (या सी.टी.-2 प्रमाणपत्र) का धारक है या नहीं। निर्धारिती द्वारा माल की आपूर्ति दो फर्मों को की गई थी, जिनमें से एक एल-6 लाइसेंस धारक थी। इसलिए, एल-6 लाइसेंसधारी फर्म के संबंध में रियायत देना सही है। अन्य फर्म के संबंध में निर्धारिती ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की कि "लाभार्थी" कारखाना नियम 192 के तहत रियायत के लिए पात्र था, और इसलिए निर्धारिती को ऐसी रियायत का लाभ देने से इनकार करना उचित था। [957 जी,एच; 958 ए,बी]

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की अनुसूची का मद 29 ए बहुत व्यापक है और इसमें विभिन्न माल शामिल हैं। अधिसूचना उस मद के अंतर्गत आने वाले सामान की विभिन्न श्रेणियों से भी संबंधित है। लेकिन किसी भी स्तर पर इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन माल अधिसूचना की क्रम संख्या 8(3) वाली वस्तु के अंतर्गत आता है। जहां तक इस श्रेणी के माल का सवाल है, अधिसूचना में शुल्क की केवल एक दर का उल्लेख किया गया है। तथ्य यह है कि रेफ़िजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग उपकरणों और मशीनरी के कुछ अन्य हिस्से क्रम संख्या 4 (3) या अन्यत्र मद के अंतर्गत आते हैं, वर्तमान में विचाराधीन वस्तुओं के संबंध में उच्च शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अधिसूचना का स्पष्टीकरण केवल वहीं लागू होता है

जहां बिल्कुल एक ही विवरण के माल पर शुल्क की अलग-अलग दरें लगती हैं। [958 एफ-एच]

सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम वेस्टर्म इंडिया प्लाइवुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, [1989] सप्ल 2 एससीसी 515 और सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम हंसुर प्लाइवुड वर्क्स, [1989] सप्ल 2 एस.सी.सी. 520, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4693-94(एनएम)/1990

सी/2636/86-बी2 और सी/1281/85 बी2 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण), अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.5.1990 से।(आदेश क्रमांक 283 और 284/90 बी2)

वी. श्रीधरन, आर. माधव राव और वी. बालचंद्रन अपीलार्थी की ओर से

ए.के. गांगुली, दिलीप टंडन और पी. परमेश्वरन प्रतिवादी की ओर से न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वारा

रंगनाथन, जे. थर्मेंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड (इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) की ये दो अपीलें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक

अधिनियम, 1944( 'अधिनियम', संक्षेप में) की धारा 8 के तहत जारी दो समान अधिसूचनाओं की व्याख्या का सवाल उठाती हैं।

निर्धारिती ने वेरावल में भारतीय रेयान कॉर्पोरेशन और निरलोन सिंथेटिक्स फाइबर एंड केमिकल्स लिमिटेड के कारखानों के रेफ़िजरेटिंग/एयर कंडीशनिंग के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से जापान से "सान्यो सिंगल इफ़ेक्ट चिलर" के रूप में वर्णित माल का आयात किया। इसने उस पर सीमा शुल्क टैरिफ की प्रासंगिक प्रविष्टि के तहत उचित दर पर, लगाए गए सीमा शुल्क का भुगतान किया। लेकिन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सी.टी.एक्ट, संक्षेप में) की धारा 3(1) के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट का दावा किया गया। उक्त खण्ड का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है

"3. (1) कोई भी वस्तु जो भारत में आयात की जाती है, इसके अलावा, समान वस्तु पर उतने समय के लिए लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क (इसके बाद इस खंड में अतिरिक्त शुल्क के रूप में संदर्भित)के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा यदि भारत में उत्पादित या विनिर्मित किया जाता है और यदि किसी समान वस्तु पर ऐसा उत्पाद शुल्क उसके मूल्य के किसी भी प्रतिशत पर

लगाया जाता है, तो आयातित वस्तु पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क की गणना आयातित वस्तु के मूल्य के उस प्रतिशत पर की जाएगी।

स्पष्टीकरणः -इस धारा में, अभिव्यक्ति "भारत में उत्पादित या निर्मित होने पर समान वस्तु पर कुछ समय के लिए लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क" का अर्थ उस समय के लिए लागू उत्पाद शुल्क है जो समान वस्तु पर लगाया जाएगा यदि उसका उत्पादन या निर्माण भारत में किया जाता है,अथवा यदि समान वस्तु का उत्पादन या निर्माण नहीं किया जाता है, जो आयातित वस्तु से संबंधित वस्तुओं के वर्ग या विवरण पर लगाया जाएगा, और जहां ऐसा शुल्क अलग-अलग दरों पर लगाया जाता है, वहां उच्चतम शुल्क लगाया जाता है। "

## (हमारा रेखांकित करते हुए)

उपरोक्त प्रावधान की भाषा को देखते हुए, पार्टियों के बीच यह सामान्य आधार है कि अधिनियम की धारा 8.(1) 6 के तहत समय-समय पर जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट की अधिसूचनाएं लागू होंगी। आयातित वस्तुओं के मामले में, उपर्युक्त धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त शुल्क की उद्ग्रहण क्षमता निर्धारित करने के लिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई माल ऐसी किसी अधिसूचना के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट का हकदार है, तो छूट या रियायत सी.टी. अधिनियम की धारा 3(1) के तहत देय अतिरिक्त शुल्क तक भी विस्तारित होगी। बेशक, किसी भी शर्त या आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन, जिनका किसी विशेष अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए अनुपालन करना पड़ सकता है।

वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने सीमा शुल्क के साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क (इसके बाद 'सीवीडी' के रूप में संदर्भित) का भुगतान करने के बाद आयातित माल को मंज्री दे दी, लेकिन, दूसरे विचार पर, निर्णय लिया कि उसे अधिनियम की धारा 8 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 63/85 और 93/76 के आधार पर सीवीडी के संबंध में रियायत का दावा करना चाहिए था। इसलिए, इसने सीवीडी की वापसी के लिए आवेदन किए, लेकिन इन्हें सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 25.2.85 और 30.9.85 द्वारा खारिज कर दिया।

निर्धारिती ने इन आदेशों के खिलाफ सीमा शुल्क कलेक्टर (अपील) के समक्ष अपील की। कलेक्टर ने दिनांक 25.2.85 के आदेश से अपील की अनुमित दी लेकिन उनके उत्तराधिकारी, जिन्होंने 30.4.85 के बाद के आदेश से अपील को निपटाया, ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और निर्धारिती की अपील को खारिज कर दिया। निर्धारिती और विभाग ने संबंधित आदेश के खिलाफ अपील की, जो उनके खिलाफ गया। ट्रिब्यूनल ने विभाग की अपील स्वीकार कर ली लेकिन निर्धारिती की अपील खारिज कर दी। इसलिए निर्धारिती द्वारा ये दो अपीलें हैं।

यह सामान्य आधार है कि सीमा शुल्क देय है और सीमा शुल्क टैरिफ मद संख्या 84.17(1) के तहत आयातित वस्तुओं पर आयातित वस्तुओं के मूल्य का 40% और उस पर 25% अधिभार का भुगतान किया गया है। हालाँकि, सीवीडी की दर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मद संख्या 29 ए के आधार पर निर्धारित की जानी है। यह सामान्य बात है कि "चिलर्स" मद 29 ए के उप-मद (3) के अंतर्गत आते हैं और उस पर देय मूल उत्पाद शुल्क अधिसूचना 42/84-सी.ई. दिनांक 1.3.84 के साथ पढ़ी गई उपरोक्त मद के तहत माल के मूल्य का 80% था।

हालाँकि S.8. पहले उल्लिखित अधिसूचनाएँ एक और रियायत प्रदान करती हैं। अधिसूचना नं. 93 एन 6-सी.ई. जी प्रथम अपील के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है जबिक अधिसूचना सं. 63/85-सी.ई. दूसरे के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है। अधिसूचनाएँ कुछ अलग ढंग से लिखी गई हैं। हालाँकि, यह सामान्य आधार है कि दोनों अधिसूचनाएँ वर्तमान अपीलों के प्रयोजनों के लिए सभी प्रकार से समान हैं। अतः अधिसूचना क्रमांक 63/85 दिनांक 17.3.85 की शर्तों को यहां से निकाला जाए तो पर्याप्त है। यह इस प्रकार है:

## प्रभावी दरें

## 63/85-सीई, दिनांक 17.3.1985

"रेफ्रिजरेटर, बाष्पीकरणीय प्रकार के क्लरों पर शुल्क की प्रभावी दरें, एयर कंडीशनिंग उपकरण, आदि और उनके निर्धारित हिस्से।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के उप-नियम (1) नियम 8 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा संलग्न तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट विवरण और उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट उप-मद के अंतर्गत आने वाले माल को छूट देती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद संख्या 29 ए में, उक्त अधिनियम के तहत उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के इतने हिस्से से, कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर पर) उक्त तालिका की शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, तो उसके कॉलम (5) में संबंधित प्रविष्टि में निर्धारत किया गया है।

क्र.सं	<u>उ</u> प	विवरण	दर	शर्त
सं .	आइ			

	टम			
	संख्या			
ख	या			
1	2	3	4	5
1	(1)	रेफ्रिजरेटर और अन्य		
		रेफ्रिजरेटिंग उपकरण-		
		(i) वाटर-क्लर	श्र्च	-
		(ii) घरेलू रेफ्रिजरेटर क्षमता	यथामूल्य	-
		165 लीटर से अधिक नहीं	25 प्रतिशत.	
		(iii) अन्य।	यथामूल्य	
			50 प्रतिशत.	
2	(2)	बाष्पीकरणीय प्रकार के	यथामूल्य	
		कूलर	30 प्रतिशत.	
3	(2)	एयर कंडीशनर और एयर	यथामूल्य	अगर-
		कंडीशनर के पैकेज प्रकार	25 प्रतिशत.	(1) उक्त माल का
		सहित अन्य एयर		उपयोग इस प्रकार
		कंडीशनिंग उपकरण;		किया जाता है;
		स्प्लिट यूनिट एयर		

कंडीशनर, टीजीएचई क्लिंग या रूम यूनिट और उसकी संघनक इकाई निम्नलिखित में से किसी उपयोग के लिए आवश्यक है: -1.कंप्यूटर कक्ष

- 2. अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ
- 3. जानवरों के घर
- 4. टेलीफोन एक्सचेंज
- 5. प्रसारण स्टूडियो
- 6. ट्रॉलर
- ७. बांध
- 8. खदानें और सुरंगें
- 9. थर्मल और पनबिजली स्टेशन
- मंत्रालय रक्षा 10.

- (2) उक्त माल स्थापना की तारीख से 5 साल की अवधि के भीतर दोबारा नहीं बेचा जाता है
- (3) केन्द्रीय शुल्क उत्पाद नियम 1944 के अध्याय 10 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

अधीन सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं और मोबाइल ट्रोपो और मोबाइल रडार यूनिट का तकनीकी भवन 11. केंद्र सरकार, राज्य स्थानीय सरकार या प्राधिकारी द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी अस्पताल 12. सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी अस्पताल, जिसकी आय आयकर अधिनियम 1961 (43 0 एफ 1961) की धारा 10 की उपधारा (22 ए) के तहत छूट प्राप्त है। 13. कोई फैक्ट्री 14. विद्युत भार प्रेषण

		केन्द्र।
		15. भारतीय नौसैनिक
		जहाज
4	(3)	रेफ्रिजरेटिंग और एयर यथामूल्य
		कंडीशनिंग उपकरणों और <sub>80</sub> प्रतिशत.
		मशीनरी के हिस्से
		निम्नलिखित प्रकार के होते
		<b>हैं:</b> -
		1. कूलिंग कॉइल्स या
		बाष्पीकरणकर्ता
		2. कंप्रेसर
		3.संघिनत्र
		4.थर्मोस्टेट
		5. कूलिंग यूनिट (स्प्लिट
		यूनिट एयर कंडीशनर की
		रूम यूनिट को छोड़कर)
		और रेफ्रिजरेटर के
		अवशोषण प्रकार के मामले

		में, केरोसिन संचालित
		अवशोषण प्रकार रेफ्रिजरेटर
		में बर्नर और बैफल्स सहित
		कोई कंप्रेसर, हीटर नहीं
		होता है।
		6. रिले नियंत्रण (विस्तार
		वाल्व और सोलनॉइंड वाल्व
		सहित) और दबाव स्विच
		शुरू करना
		7. अधिभार संरक्षण
		थर्मल/रिले
		8. कैबिनेट
5	(3)	रेफ्रिजरेटिंग और एयर शून्य
		कंडीशनिंग उपकरणों और
		मशीनरी के हिस्से ऊपर
		क्रम संख्या 4 में निर्दिष्ट के
		अलावा सभी प्रकार के
6	(3)	उपरोक्त क्रम संख्या 4 में यथामूल्य अगर-
		निर्दिष्ट रेफ्रिजरेटिंग मशीनरी

	के हिस्से और 3 सितंबर 25 प्रतिशत	(1) उक्त भागों का
	1964 से संबंधित कोल्ड	उपयोग उक्त कोल्ड
	स्टोरेज आदेश 1964 के	स्टोरेज में किया
	पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट खाद्य	जाता है; और
	सामग्री के भंडारण और	(2) केन्द्रीय
	संरक्षण के लिए कोल्ड	उत्पाद शुल्क
	स्टोरेज में 4 का उपयोग	नियम १९४४ के
	आवश्यक है।	अध्याय १० में
		निर्दिष्ट प्रक्रिया का
		पालन किया जाता
		<b>*</b>
7 (3)	ऊपर क्रम संख्या 4 में यथामूल्य	अगर-
	निर्दिष्ट विवरण के 25 प्रतिशत	<sup>T.</sup> (1) उक्त भागों का
	रेफ्रिजरेटिंग उपकरणों और	उपयोग इस प्रकार.
	मशीनरी के हिस्से और	किया जाता है;
	विनिर्माण में उपयोग के	और
	लिए आवश्यक-	(2) केन्द्रीय
	(ए) रेफ्रिजरेटिंग वैन,	उत्पाद शुल्क
	जिसमें नाशवान, खाद्य और	नियम १९४४ के

डेयरी उत्पादों के परिवहन		अध्याय १० में
के लिए वैगन शामिल हैं;		निर्दिष्ट प्रक्रिया का
(बी) जहाज, जिसमें फ्रिगेट		पालन किया जाता
भी शामिल हैं, जहां		है।
परिवहन में खराब होने		
वाले सामानों के संरक्षण के		
लिए प्रावधान किया गया है		
उपरोक्त क्रम संख्या 4 में	यथामूल्य	अगर-
निर्दिष्ट विवरण के	25 प्रतिशत.	(1) उक्त भागों का
रेफ्रिजरेटिंग और		इतना उपयोग
एयरकंडीशनिंग उपकरणों		किया जाता है;
और मशीनरी के हिस्से		और
और निम्नलिखित में से		(2) केन्द्रीय
किसी में रेफ्रिजरेटिंग या		उत्पाद शुल्क
एयरकंडीशनिंग उपकरणों		नियम, 1944 के
या मशीनरी कंडीशनिंग		अध्याय १० में
उपकरणों या मशीनरी में		निर्दिष्ट प्रक्रिया का
उपयोग के लिए आवश्यक		पालन किया जाता
हैं, अर्थात्ः -		है।
	के लिए वैगन शामिल हैं; (बी) जहाज, जिसमें फ्रिगेट भी शामिल हैं, जहां परिवहन में खराब होने वाले सामानों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है  उपरोक्त क्रम संख्या 4 में निर्दिष्ट विवरण के रेफ्रिजरेटिंग और एयरकंडीशनिंग उपकरणों और मशीनरी के हिस्से और निम्नलिखित में से किसी में रेफ्रिजरेटिंग या एयरकंडीशनिंग उपकरणों या मशीनरी कंडीशनिंग उपकरणों या मशीनरी कंडीशनिंग उपकरणों या मशीनरी में	के लिए वैगन शामिल हैं; (बी) जहाज, जिसमें फ्रिगेट भी शामिल हैं, जहां परिवहन में खराब होने वाले सामानों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है  उपरोक्त क्रम संख्या 4 में स्विह्य विवरण के रेफिजरेटिंग और एयरकंडीशनिंग उपकरणों और मशीनरी के हिस्से और निम्नलिखित में से किसी में रेफ्रिजरेटिंग या एयरकंडीशनिंग उपकरणों या मशीनरी कंडीशनिंग उपकरणों या मशीनरी कंडीशनिंग उपकरणों या मशीनरी में

- 1. कंप्यूटर कक्ष
- अनुसंधान एवं विकास
   प्रयोगशालाएँ
- 3. जानवरों के घर
- 4. टेलीफोन एक्सचेंज
- 5. प्रसारण स्टूडियो
- 6. ट्रेलर
- ७. बांध
- 8. खदानें और सुरंगें
- 9. थर्मल या पनबिजली स्टेशन
- 10. रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं और मोबाइल ट्रोपो और मोबाइल रहार यूनिट का तकनीकीभवन
- कंद्र सरकार, राज्य
   सरकार या स्थानीय

		प्राधिकारी द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी अस्पताल,  12. सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी अस्पताल, जिसकी आय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (22 ए) के तहत छूट है।  13. कोई फैक्ट्री  14. वियुत भार प्रेषण केन्द्र  15. भारतीय नौसैनिक जहाज			
9	(3)	वाटर क्लर के निर्माण में ध प्रयुक्त कंप्रेसर	शून्य	ऐसा कंप्रेश	ोग के

उत्पादन के कारखाने के अलावा कहीं और होता है तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अध्याय 10 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

यह देखा जाएगा कि अधिसूचना में निर्धारित माल ज्यादातर 25% यथामूल्य की रियायती दर पर उत्पाद शुल्क के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि वे उपरोक्त तालिका के कॉलम (5) में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। यह फिर से सामान्य आधार है कि वर्तमान में विचाराधीन आइटम का माल अधिसूचना के क्रम संख्या 8, उप आइटम संख्या (3) में उल्लिखित आइटम में से एक है और यह उपरोक्त तालिका की कॉलम संख्या (3) में दिए गए उक्त मद के विवरण के अनुरूप भी है। कॉलम (5) की ओर मुझते

हुए निर्धारिती को रियायत प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

- (i) कि उक्त भागों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए अर्थात आइटम 8(3) के, कॉलम (3) के आइटम (i) से (xv) के रूप में निर्धारित स्थानों में से किसी एक में रेफ्रिजरेटिंग या एयरकंडीशनिंग उपकरणों या मशीनरी में उपयोग किया जाना चाहिए; और
- (ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय X में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

यहां पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि निर्धारिती द्वारा आयातित चिलर किसी कारखाने में उपयोग किया जाता है -मद (xiii) के तहत -और इसलिए, इनमें से पहली शर्त पूरी हो गई है

हालाँकि, रियायत के लिए निर्धारिती का दावा खारिज कर दिया गया है इस आधार पर कि उपरोक्त शर्तों में से दूसरी को पूरा नहीं किया गया है, लेकिन व्यापक आधार पर कि अध्याय X की प्रक्रिया केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजनों के लिए मंजूरी की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई है और उक्त प्रक्रिया को मामले में बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सकता है। एक आयातक का दूसरे शब्दों में, विचार यह था कि दूसरी स्थिति ऐसी थी कि इसे केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजनों के लिए अाकर्षित किया गया था और सीवीडी में रियायत का दावा करने के लिए इसे बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता था। यह इस निष्कर्ष की सत्यता या अन्यथा है जिसे इन अपीलों में निर्धारित किया जाना है।

यह हमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय X के प्रावधानों पर विचार करने के लिए ले जाता है।यह अध्याय "विशेष औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली माल पर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) शुल्क की छूट" का प्रावधान करता है। नियम 192 इस अध्याय का प्रमुख नियम है जो इस प्रकार है:

"नियम 192. -रियायत के लिए आवेदन -जहां केंद्र सरकार ने, नियम 8 के तहत अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले नमक के अलावा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य माल पर शुल्क की छूट को मंजूरी दे दी है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे माल पर शुल्क की छूट प्राप्त करना चाहता है, आवश्यक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की अनुमानित वार्षिक मात्रा और उनका उपयोग करने के उद्देश्य और तरीके का उल्लेख करते हुए कलेक्टर को उचित प्रपत्र में आवेदन करना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि माल का उपयोग इस उद्देश्य के लिए और इस तरह से किया जाएगा। यदि कलेक्टर इस बात से संतुष्ट

है कि आवेदक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे राजस्व को खतरे के बिना रियायत दी जा सकती है, और यदि वह व्यक्तिगत निरीक्षण या अपने अधीनस्थ अधिकारी के निरीक्षण से संतुष्ट है कि परिसर उपयुक्त है और माल के भंडारण के लिए उपयुक्त एक सुरक्षित भंडार-कक्ष हो, और यदि आवेदक ऐसी स्थापना की लागत वहन करने के लिए सहमत हो, जिसे कलेक्टर इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपने परिसर के संचालन की निगरानी के लिए आवश्यक समझे. तो कलेक्टर आवेदन स्वीकार कर सकता है , और आवेदक उचित फॉर्म में ज़मानत या पर्याप्त सुरक्षा के साथ, इतनी राशि में और ऐसी शर्तों के तहत एक बांड में प्रवेश करेगा जैसा कि कलेक्टर अनुमोदित करता है। जहां, इस प्रयोजन के लिए, आवेदक के लिए उत्पाद शुल्क लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, उसे लाइसेंस शुल्क के भ्गतान के लिए सबूत के साथ अपेक्षित आवेदन जमा करना होगा और उसके बाद उसे उचित प्रपत्र में लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। रियायत, जब तक कलेक्टर द्वारा नवीनीकृत नहीं की जाती, लाइसेंस की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

बशर्ते कि, मृत्यु, दिवालियापन या ज़मानत की अपर्याप्तता की स्थिति में, या जहां बांड की राशि अपर्याप्त है, कलेक्टर अपने विवेक से, एक नए बांड की मांग कर सकता है और यदि बांड के लिए दी गई सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, तो अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर सकता है"

नियम 193 से 196 बीबी आवेदक के परिसर में माल की उचित पैकिंग और परिवहन, आवेदक के नियंत्रण में एक अलग और अलग स्थान पर उनका भंडारण, उसके संबंध में उचित खातों के रखरखाव, नियंत्रण के प्रावधान करते हैं। उनके स्थानांतरण और संचलन और अंत में ऐसे सामानों के निपटान के संबंध में "जहां वे अधिशेष या दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं और यहां तक कि निर्दिष्ट औद्योगिक प्रक्रिया में उनके उपयोग के परिणामस्वरूप कचरा भी पाया जाता है। हमारे वर्तमान उद्देश्यों के लिए इन प्रावधानों के विवरण में जाना अनावश्यक है। यद्यपि नियम 192 का उत्तरार्द्ध भी आवेदक को, जहां आवश्यक हो, फॉर्म एल-6 में लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और इस प्रक्रिया के लिए खरीदे गए माल पर शुल्क रियायत देने के लिए आवेदन पत्र (फॉर्म एएल-6) भी निर्धारित करता है। लाइसेंस की अविध के दौरान निर्माण के नियम के शुरुआती शब्द बहुत

व्यापक और सामान्य हैं। निस्संदेह, अध्याय नियम की भाषा किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है, जरूरी नहीं कि वह निर्माता हो, जो एक निर्दिष्ट औद्योगिक प्रक्रिया में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर नियम 8 के तहत अधिसूचना द्वारा स्वीकृत शुल्क में छूट प्राप्त करना चाहता है। कॉलम (2) में निर्दिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाएँ भी हर मामले में बह्त जटिल या विस्तृत नहीं हैं। यहां तक कि किसी कारखाने में संबंधित हिस्से के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा की गई खरीदारी भी कॉलम (2) के दायरे में शामिल की जा सकती है; ऐसे व्यक्ति को केवल आवश्यक वस्तुओं की मात्रा के साथ-साथ उनके उपयोग के तरीके और उद्देश्य को निर्धारित करते हुए एक आवेदन देना होगा और एक घोषणा देनी होगी कि उनका उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। तद्परांत कलेक्टर, यदि संतुष्ट है कि राजस्व को खतरे के बिना रियायत दी जा सकती है, तो वह अनुभाग में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन को मंजूरी दे सकता है। वह उचित मामलों में फॉर्म एल-6 में लाइसेंस दे सकता है और अन्य मामलों में फॉर्म सीटी-2 में प्रमाणपत्र देने का निर्देश दे सकता है। लाइसेंस का कब्ज़ा या सीटी-2 प्रमाणपत्र का उत्पादन आवेदक को आवश्यक रियायत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

एक बार यह देखा जाएगा कि नियम की योजना में कुछ भी नहीं है जो इसे माल के आयातक पर लागू नहीं करता है। यहां निर्धारिती ने माल

आयात किया है और उन्हें एक कारखाने में उपयोग के लिए बेच रहा है, एक ऐसा उपयोग जो एस.8 अधिसूचनाओं के तहत रियायत के लिए योग्य है। अधिसूचित रियायतों में निर्दिष्ट उपयोग के प्रकार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और, यहां तक कि हमारे विचाराधीन अधिसूचनाओं में भी, वे कई और विविध हैं। विशेष रूप से क्रम संख्या 3 और 8 के अंतर्गत आने वाली आइटम के संबंध में. वास्तविक उपयोगकर्ता निजी व्यक्ति या प्राधिकरण हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि वे उस शब्द के संकीर्ण अर्थ में "औद्योगिक प्रक्रिया" में प्रश्न में माल का उपयोग करने वाले निर्माता हों। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर कक्ष, अस्पताल या कारखाने में उपयोग के लिए रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग उपकरणों और मशीनरी के हिस्सों की खरीद करने वाला कोई भी कंप्यूटर कक्ष, अस्पताल या कारखाना निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके रियायत का दावा करने का हकदार होगा। केवल, उत्पाद शुल्क में रियायत का दावा करने के लिए उपयोगकर्ता स्वयं निर्माता होना चाहिए या उसने मद पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी निर्माता से खरीदारी की होगी, जबकि सीवीडी रियायत के दावे के संबंध में, आपूर्तिकर्ता एक आयातक होगा। उत्तरार्द्ध शुल्क की रियायती दर पर (या छूट होने पर शून्य दर पर) सामान बेचने का हकदार होगा यदि खरीदार जो सामान को निर्दिष्ट उपयोग में रखता है (चाहे निर्माता हो या नहीं) नियम 192 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। चूंकि नियम 192 के तहत रियायत केवल उस प्रकृति और उपयोग पर निर्भर करती है जिसके

लिए उपयोगकर्ता या खरीदार द्वारा मालरखा जाता है और क्या वह अध्याय X में उल्लिखित प्रक्रिया से गुजरा है, इसलिए इसे अस्वीकार करना सही नहीं होगा। ऐसे माल के आपूर्तिकर्ता को इस आधार पर कि वह आयातक है, निर्माता नहीं। वह पहलू सी.ई.टी. की धारा 3(1) द्वारा प्रदान किया गया है। अधिनियम जो विशेष रूप से अनिवार्य करता है कि सी ए वी भारत में उत्पादित या निर्मित होने पर समान वस्त् पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में, हमें यह भूलना होगा कि माल आयात किया जाता है, कल्पना करें कि आयातक ने भारत में माल का निर्माण किया था और उत्पाद शुल्क की वह राशि निर्धारित करें जो उसे उस स्थिति में भ्गतान करने के लिए कहा गया होगा। इस प्रकार, यदि माल का उपयोग करने वाला व्यक्ति छूट का हकदार है, तो आयातक यह कहने का हकदार होगा कि सीवीडी केवल रियायती शुल्क की राशि होनी चाहिए और, यदि उसने अधिक भ्गतान किया है, तो वह रिफंड मांगने का हकदार होगा। हमारी राय में, ट्रिब्यूनल ने यह मानने में गलती की थी कि करदाताओं को रिफंड नहीं मिल सकता क्योंकि नियमों के अध्याय X की प्रक्रिया आयातकों पर लागू नहीं होती है।

हालाँकि, निर्धारिती के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि, भले ही ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष है कि नियमों के अध्याय X की प्रक्रिया का ऐसे मामलों में अनुपालन सही नहीं होने पर अधिसूचना के तहत छूट से

इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस प्रस्तुतिकरण के समर्थन में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के एक पत्र (एफ.सं. 332/65/86 टीआरवी दिनांक 27.7.87) पर भरोसा किया, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

"बोर्ड का मानना है कि भारत में निर्मित होने पर ऐसे सामानों पर वास्तव में देय अतिरिक्त (काउंटर-वैलिंग) शुल्क लगाना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। इसलिए, यह इस प्रकार है कि जब कोई उत्पाद शुल्क नहीं होता है, तो वहां कोई अतिरिक्त (काउंटर-वैलिंग) शुल्क नहीं हो सकता है। प्रासंगिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं में शर्त है कि निर्माण के कारखाने के अलावा कहीं और सामग्री के उपयोग के संबंध में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए प्रक्रियात्मक आवश्यकता से संबंधित शर्त है जिसे स्पष्ट रूप से आयातित वस्तुओं से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयातित वस्तुओं को केवल इसलिए छूट अधिसूचना का लाभ देने से इनकार करना सही नहीं होगा क्योंकि अधिसूचना में प्रक्रियात्मक शर्त आयातित वस्तुओं द्वारा पूरी नहीं की गई है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जहां भी सामग्री का इच्छित उपयोग आयातक द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो रसायनों का निर्माता हो सकता है या अन्य साक्ष्य से, छूट अधिसूचना के तहत छूट का लाभ केवल आयातित वस्तुओं को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि निम्नलिखित अध्याय X प्रक्रिया की प्रक्रियात्मक शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है।"

यह देखा जाएगा कि यह पत्र भी ट्रिब्यूनल के उसी दृष्टिकोण पर आगे बढ़ता है कि आयातित वस्तुओं के मामले में अध्याय X प्रक्रिया को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। यह उस व्याख्या से भिन्न है जो हमने नियम 192 में रखी है। हालाँकि, हम बोर्ड की इस टिप्पणी से सहमत हैं कि छूट या रियायत का लाभ दिया जाना चाहिए जहां भी आयातक या अन्य साक्ष्य द्वारा सामग्री का इच्छित उपयोग स्थापित किया जा सकता है हालाँकि, यह निष्कर्ष निर्धारिती को इन दोनों अपीलों में दावा की गई रियायत का हकदार नहीं बनाता है। इसकी पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्रेता एल-6 लाइसेंस (या सी.टी.-2 प्रमाणपत्र) धारक है या नहीं। ट्रिब्यूनल ने बताया है कि माल की आपूर्ति निर्धारिती द्वारा इंडियन रेयॉन कॉर्पोरेशन और मेसर्स निरलोन सिंथेटिक्स फाडबर एंड केमिकल्स लिमिटेड को की गई थी, जिनमें से बाद वाला एल -6 लाइसेंस का धारक था। पूर्व के संबंध में स्थिति ज्ञात नहीं है। इसलिए, प्रथम अपील में कलेक्टर (अपील) द्वारा पूर्व के संबंध में रियायत देना सही है और बरकरार रखा रखा जाता है। जहां तक अन्य अपील का सवाल है, निर्धारिती ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की कि "लाभार्थी" फैक्ट्री नियम 192 के तहत रियायत के लिए पात्र थी। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि निर्धारिती को ऐसी रियायत का लाभ उस अपील में उचित रूप से अस्वीकार किया गया है।

श्री ए.के. गांगुली ने राजस्व की ओर से तर्क दिया कि, यह मानते हुए भी कि माल पहले उल्लिखित अधिसूचना की शर्तों को पूरा करता है, सीईटी अधिनियम की धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण के आधार पर लागू सीवीडी दर 80% होगी। उनका कहना है कि निर्धारिती द्वारा आयातित माल"रेफ्रिजरेटिंग और एयरकंडीशनिंग उपकरण के हिस्से" हैं। वे तदनुसार शुल्क की विभिन्न दरों पर प्रभार्य हैं क्योंकि वे क्रम संख्या 4 (80%) या

क्रम संख्या 5 (शून्य) या क्रम संख्या 6 (20%) या क्रम संख्या 7 और 8 (25%) वाले मद के अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति में, उनका कहना है, S.3(1) के स्पष्टीकरण के प्रावधान आकर्षित होते हैं और इसलिए निर्धारिती 80% की उच्चतम दर पर शूल्क के लिए उत्तरदायी होगा। हम विभाग को इस स्तर पर एक नया विवाद उठाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हैं जो ट्रिब्यूनल या पहले नहीं उठाया गया है। इसके अलावा, हमें नहीं लगता कि यह अच्छी तरह से स्थापित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी.ई. अधिनियम की अनुसूची का मद 29 ए बह्त व्यापक है और विभिन्न लेखों को कवर करता है। अधिसूचना उस मद के अंतर्गत आने वाले लेखों की विभिन्न श्रेणियों से भी संबंधित है। लेकिन किसी भी स्तर पर इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जिन वस्तुओं से हमारा संबंध है, वे अधिसूचना के क्रमांक 8(3) के अंतर्गत आती हैं। जहां तक इस श्रेणी के माल का सवाल है, अधिसूचना में शुल्क की केवल एक दर का उल्लेख किया गया है। तथ्य यह है कि रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग उपकरणों और मशीनरी के कुछ अन्य हिस्से एस.नं. 4(3) या अन्यत्र मद के अंतर्गत आते हैं, वर्तमान में विचाराधीन वस्तुओं पर उच्च शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अधिसूचना का स्पष्टीकरण केवल वहीं लागू होता है जहां बिल्कुल एक ही विवरण की वस्तुओं पर शुल्क की अलग-अलग दरें लगती हैं। इस संबंध में, कलेक्टर ऑफ़ कस्टम्स बनाम वेस्टर्न इंडिया प्लाइव्ड मैन्य्फैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और कलेक्टर ऑफ़ कस्टम्स बनाम हंसुर

प्लाइवुड वर्क्स, (1989] सप्ल. 2 एस.सी.सी. 515 और 520 में समान प्रावधान पर निर्णय देखें। इसलिए हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं।

ऊपर बताए गए कारणों से, हम सी. ए. 4693/90 को सीमा शुल्क कलेक्टर के दिनांक 16.4.85 के आदेश पर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न अपील के रूप में मानते हुए स्वीकार करते हैं। हालाँकि सी. ए. 4694/90, खारिज की जाती है, लेकिन उक्त परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के।

जी. एन. सी. ए. 4693/90 की अनुमति,

सी. ए. 4694/90 खारिज

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री **रवि बाला सिंह** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)